राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प012 (2) राज/वाद/19 जयपुर दिनांकः 02/09/2020

समस्त प्रशासनिक विभाग,

.....,

.....।

—: परिपत्र :—

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित किसी प्रकरण में पैरवी करने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति के प्रावधान विधि विभाग द्वारा जारी समेकित परिपत्र दिनांक 19.03.2010 के भाग—2 के बिन्दु संख्या—4 (xi व xii) में उल्लेखित है।

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय प्रशासनिक विभागों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति में उक्त प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जाती हैं तथा विधि विभाग की सक्षम स्तर की पुर्वानुमति प्राप्त किये बगैर ही वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की जाकर वरिष्ठ अधिवक्ता से पैरवी करवा ली जाती है। प्रशासनिक विभाग से वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा फीस की मांग किये जाने पर प्रकरण पत्रावली प्रशासनिक विभाग के द्वारा विधि विभाग को उल्लेखित प्रावधानों की अनुपालना किये बगैर ही प्रेषित की जाती है एवं वरिष्ठ अधिवक्ता को देय फीस का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है जिसके कारण राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। उक्त स्थिति को मा. मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गंभीरतापूर्वक लिया गया है।

अतः निर्देशानुसार इस संबंध में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर एवं अन्य न्यायालयों में लम्बित किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु प्रशासनिक विभाग वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति करवाना आवश्यक समझता है तो इसके लिए विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रशासनिक विभाग के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता की वृत्तिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावित फीस आदि के पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग की पूर्वानुमति के साथ प्रस्ताव भिजवाये जावें, विधि एवं विधिक कार्य विभाग ही प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। प्रशासनिक विभाग सीधे ही किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति करने हेतु अधिकृत नहीं है। भविष्य में सक्षम स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर पैरवी कराये जाने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इस सन्दर्भ में समेकित परिपत्र दिनांक 19.03.2010 के भाग—2 के बिन्दु संख्या—4 (xi व xii) की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

02/9/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि